

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:--स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / /606 /2024

दिनांक :25.04.2024

श्रीमती भाविका कुलहरी (RJ01394), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) को दिनांक 01.05.2024 से 27.10.2024 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सीमा हुड्डा (RJ00900), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) को श्रीमती भाविका कुलहरी के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:--

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्रीमती सीमा हुड्डा (RJ00900), जिनको अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालयों के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
दिनांक 25.04.2024

क्रमांक:--स्था.बी.2 (4)/147/2020/3265

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 1788 दिनांक 18.04.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती भाविका कुलहरी (RJ01394), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर)।
5. श्रीमती सीमा हुड्डा (RJ00900), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

25/4/2024
सहायक रजिस्ट्रार